

भाग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को—

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की—
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष
ठहराया गया है; या
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके)
लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

हां/नहीं ✓

यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा:

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक..... NIL
- (ii) पुलिस थाना (थाने)..... NIL जिला (जिले)..... NIL राज्य..... NIL
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था..... NIL
- (iv) दोषसिद्ध (दोषसिद्धियों) की तारीख(तारीखें)..... NIL
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था..... NIL
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुमाने की राशि उपदर्शित करें)..... NIL
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)..... NIL
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्ध (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे: हां/नहीं —
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां..... NIL NIL
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....
- (xi) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं..... NIL
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो—
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें)..... NIL
(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)..... NIL

स्थान:

तारीख:

DELHI
13/11/2013

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

Veal Paske


भाग 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन-पत्र को क्रम सं०.....05.....यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 13/11/13 (तारीख) को 2:25 (बजे)

*अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 13/11/13



(रिटर्निंग आफिसर)

भाग 5

नामनिर्देशन पत्र को प्रतिमूहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:—

तारीख.....

(रिटर्निंग आफिसर)

(द्विदृष्टण)